राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांकः प. 15(90)नविवि/2022 जयपुर, दिनांकः 18/07/2022

आदेश

राज्य सरकार को अभियोगी/प्रार्थी श्री श्यामलाल पुत्र श्री रामचन्द्र खटीक निवासी मजिस्ट्रेट, कॉलोनी के सामने गांधीनगर चित्तौड़गढ़ से लीगल नोटिस प्राप्त हुआ जिसमें अभियोगी ने श्री सी.डी. चारण तत्कालीन सचिव, नगर विकास न्यास, चित्तौड़गढ़ के विरूद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम–1988 यथा संशोधित (2018 का संख्याक 16) की धारा 17–ए एवं 19 तथा प्रार्थी द्वारा विशेष न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण मामलात उदयपुर में प्रस्तावित अभियोग पत्र अन्तर्गत धारा 156 (3) जाब्ता फौजदारी अपराध अन्तर्गत धारा 13(1)(डी) व 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 सपठित धारा 420, 406, 467, 468, 471, 409 व 120–बी भा.दं.सं. में अभियोजन स्वीकृति जारी करने की मांग की गई है।

उक्त के संबंध में नगर विकास न्यास, चित्तौड़गढ से टिप्पणी प्राप्त की गई। सचिव, नगर विकास न्यास, चित्तौड़गढ़ ने विस्तृत टिप्पणी मय दस्तावेज प्रेषित की है। सारांशतः प्रश्नगत भूमि आराजी संख्या 1353 ग्राम चित्तौड़गढ़ तहसील चित्तौड़गढ़ का सम्परिवर्तन वर्ष 1984 व 1985 में किया गया। सम्परिवर्तित भूमि को मदनलाल पिता नाथूलाल जैन को एवं अंजना देवी पत्नी मदनलाल जैन को विक्रय कर दिया गया। उक्त सम्परिवर्तित भूमि के उपविभाजन हेतु आवेदन न्यास कार्यालय में प्रस्तुत किये जाने पर इस बाबत् लोक सूचना प्रकाशित किये जाने पर किसी की भी आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर उप नगर नियोजक से राय प्राप्त कर सम्परिवर्तित भूमि के पट्टे का उपविभाजन की कार्यवाही नगर विकास न्यास द्वारा की गई है।

उपरोक्त तथ्यों, प्रस्तुत दस्तावेजों एवं पत्रावली का अनुशीलन किया गया। श्री सी.डी. चारण तत्कालीन सचिव, नगर विकास न्यास, चित्तौड़गढ़ को व्यक्तिगत सुना गया। समस्त तथ्यों के विवेचन के पश्चात् ऐसा कोई तथ्य प्रकट नहीं होता है जिससे श्री सी.डी. चारण तत्कालीन सचिव, नगर विकास न्यास, चित्तौड़गढ़ को अभियोजित करने की स्वीकृति प्रदान की जावे। अतः प्रश्नगत प्रकरण में किसी प्रकार की कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने के कारण अभियोजन स्वीकृति प्रदान नहीं की जाती है।

(कुंजी लाल मीणा)
प्रमुख शासन सचिव

notesheet @ RV